



Neutral Citation No. - 2026:AHC:33236

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1934/2026

जोगेंद्र सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : दुर्वेश कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्वेश कुमार और विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना।
- याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था, जिसे दिनांक 04.11.2025 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सब-इंस्पेक्टर पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया; हालांकि, उनके अनुसार, उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी। याचिकाकर्ता ने अब अपना त्यागपत्र वापस लेने के लिए आवेदन किया है।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि दिनांक 04.11.2025 के त्यागपत्र स्वीकार करने वाले आदेश को इस रिट याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। हालांकि, मांगी गई राहत परमादेश के रूप में है, जिसमें प्रतिवादियों को दिनांक 4.11.2025 के आदेश को वापस लेने और रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
- इस न्यायालय की राय में, चूंकि दिनांक 04.11.2025 के त्यागपत्र स्वीकार करने वाले आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, और केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.12.2025 को उक्त आदेश को वापस लेने के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, इस न्यायालय के लिए अभ्यावेदन के निपटारे के लिए परमादेश जारी करना उचित नहीं है, विशेष रूप से तब जब यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस वैधानिक प्रावधान के तहत ऐसा अभ्यावेदन स्वीकार्य है।
- चाहे जो भी हो, इस मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध किसी भी उपाय का लाभ उठा सकता है।
- तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10 फरवरी, 2026

सुषमा

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"